

न्यायालय :- अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड मध्य-प्रदेश

प्रकरण क्रमांक 335/2015 सत्रवाद

संस्थिति दिनांक 17-10-2015

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र
मालनपुर जिला भिण्ड म0प्र0।

-----अभियोजन

बनाम

1. पिकी पत्नी सुनील जाटव, उम्र 23 वर्ष, निवासी
ग्राम अतरेटा थाना अतरेटा, जिला दतिया म0प्र0
2. सोनू सिंह उर्फ बिक्रमसिंह राणा पुत्र कन्हैया, उम्र
27 वर्ष, निवासी नरेश गुप्ता के सामने वाली
गली गुप्ता कॉलोनी थरेट, आरक्षी केन्द्र थरेट,
जिला दतिया म0प्र0
3. राज बढई पुत्र सिरनाम सिंह विश्वकर्मा, उम्र 23
वर्ष, निवासी ग्राम कुढारी, आरक्षी केन्द्र थरेट,
जिला दतिया, हाल पुराना बाजार थरेट जिला
दतिया म.प्र.

-----अभियुक्तगण

न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी गोहद श्री गोपेश गर्ग
के न्यायालय के मूल आपराधिक प्र0कं0 659/2015 इ0फौ0
से उदभूत यह सत्र प्रकरण क्र0 335/2015

शासन द्वारा अपर लोक अभियोजक श्री दीवान सिंह गुर्जर।
अभियुक्तगण द्वारा श्री दाताराम बंसल अधिवक्ता।

नि-र्ण-य

//आज दिनांक 30-11-2016 को घोषित किया गया//

01. आरोपीगण का विचारण धारा 307 विकल्प में धारा 307/34 भा0दं0वि0 के
अपराध के आरोप के संबंध में किया जा रहा है तथा सहआरोपी सोनू राणा का विचारण उक्त

अपराध के अतिरिक्त धारा 25(1-बी)ए आयुध अधिनियम के आरोप के संबंध में किया जा रहा है। आरोपीगण पर आरोप है कि दिनांक 11.06.2015 के 02:15 बजे दिन स्थान एस.के.एस. इण्डस्ट्री के पास मालनपुर के में फरियादी रिन्कू की हत्या कारित करने का प्रयत्न किया इस हेतु कट्टे से उसे दाहिने घुटने में इस आशय या ज्ञान से और परिस्थितियों में कि यदि उसकी मृत्यु हो जाती तो वह हत्या के दोषी होते और इस दौरान उसे चोटें पहुँचाकर गंभीर उपहति कारित की। बैकल्पिक रूप से उन पर यह भी आरोप है कि उपरोक्त दिनांक समय स्थान पर अन्य सहआरोपीगण के साथ मिलकर फरियादी रिन्कू को जान से मारने का सामान्य आशय निर्मित किया और उसके अग्रसरण में कार्य करते हुए कट्टे से उसके दाहिने घुटने में इस आशय या यह जानते हुए तथा ऐसी परिस्थितियों में मारा यदि उसकी मृत्यु हो जाती तो आप हत्या के दोषी होते और इस प्रकार उसे चोट पहुँचाकर उपहति कारित की। सहआरोपी सोनू राणा पर उक्त आरोप के अतिरिक्त यह भी आरोप है कि उपरोक्त दिनांक समय स्थान पर आप अपने आधिपत्य में एक 315 बोर का दोशी कट्टा व जिंदा राउण्ड अवैध रूप से बिना किसी अनुज्ञप्ति के रखे पाए गए।

02. अभियोजन प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार से रहा है कि दिनांक 11.06.2015 को फरियादी एस.के.एस. इण्डस्ट्री के पास आम रोड मालनपुर स्थित सूर्या कम्पनी में मजदूरी करता है। घटना दिनांक को दोहपर करीब डेढ़-दो बजे उसकी चाची पिकी का फोन उसके पाया जो उससे बोली कि वह हनुमान चौराहा पर आ गई है उसे लेने आ जाओ तो वह पिकी को लेने हनुमान चौराहा पहुँचा वहाँ उसे वह मिली और उसने उससे से कहा कि चलो घर चलते है। पिकी ने कहा कि घर बाद में चलेंगे पहले रोड के तरफ फैक्ट्री की तरफ चलते है, फरियादी ने मना किया किन्तु वह नहीं मानी, फिर वह व पिकी पैदल पैदल एस.के.एस. फैक्ट्री तरफ चलने लगे। जैसे ही वह लोग फैक्ट्री के पास पहुँचे दो मोटरसाइकिल वाले वॉक्सर मोटरसाइकिल से लाए और उसे पकड़कर बंद फैक्ट्री के खुले कमरे में ले गए। पिकी रोड पर ही खड़ी रही तथा कमरे में लेजाकर उसे एक आदमी ने कट्टा निकालकर जान से मारने की नियत से उसे मारा जो उसके दाहिने घुटने में लगा जिससे वह वहीं पर गिर पड़ा तथा खून निकलने लगा। उसके बाद दोनों लोग वहाँ से भाग गए। वह कमरे से बाहर घिसटकर आया तो वहाँ पर खड़े गाडी के चालकों ने उसे देखकर पुलिस को सूचना दी। उसको पिकी भी वहाँ पर नहीं मिनर और उसका मोबाइल भी नहीं मिला। उक्त रिपोर्ट देहातीनालसी क्रमांक 0/15 धारा 307, 34 भा.दं.वि की लेखबद्ध की गई। जिसकी की थाने पर असल कायमी अप0क0 100/15 पर अज्ञात में दर्ज की गई।

03. प्रथम रिपोर्ट दर्ज करने के उपरांत प्रकरण विवेचना में लिया गया । फरियादी का मेडीकल परीक्षण कराया गया। घटना के पश्चात् घटनास्थल से पिंगी का जाना संदिग्ध प्रतीत होने से उससे पूछताछ की तो पिंगी ने रिन्कू से संबंध होना एवं अब रिन्कू के द्वारा उससे संबंध तोड़कर कहीं दूसरी जगह शादी की तैयारी करने से गुस्सा होकर घटना सोनू उर्फ बिक्रमसिंह राणा व राज बढई के साथ मिलकर घटित करना स्वीकार किया। आरोपीगण पिंगी, सोनू व राज को गिरफ्तार किया गया। आरोपी सोनू से घटना में प्रयोग की गई एक मोटरसाइकिल व 315 बोर का कट्टा व राउण्ड जप्त कर धारा 25, 27 भा.दं.वि का इजाफा किया गया। आरोपी सोनू व राज की शिनाख्ती की कार्यवाही कराई गई। घटनास्थल का नक्शामौका बनाया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए। प्रकरण जप्तशुदा अग्नेयशस्त्र परीक्षण हेतु राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया। सम्पूर्ण विवेचना उपरांत विचारण हेतु अभियोगपत्र न्यायालय में पेश किया गया जो कि कमिट होने के उपरांत माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के आदेशानुसार विचारण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

04. आरोपीगण के विरुद्ध धारा 307 विकल्प में धारा 307/34 भा0दं0वि0 का आरोप पाया जाने से एवं सहआरोपी सोनू राणा के विरुद्ध उक्त आरोपों के अतिरिक्त धारा 25(1-बी)ए आयुध अधिनियम का आरोप पाए जाने से आरोप लगाकर पढकर सुनाया समझाया गया। आरोपीगण ने जुर्म अस्वीकार किया उनकी ली लेखबद्ध की गई।

05. दं.प्र.सं. के प्रावधानों के अनुसार अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्त परीक्षण में अभियुक्तगण ने स्वयं को निर्दोश होना बताते हुए झूठा फंसाया जाना अभिकथित किया है। बचाव में कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया है।

06. आरोपीगण के विरुद्ध विचारित किए जा रहे अपराध के संबंध में विचारणीय यह है कि:-

1. क्या आरोपीगण के द्वारा दिनांक 11.06.2015 के 02:15 बजे दिन स्थान एस.के.एस. इण्डस्ट्री के पास मालनपुर के में फरियादी रिन्कू की हत्या कारित करने के प्रयत्न में अग्नेयशस्त्र से फायर इस आशय या ज्ञान से और परिस्थितियों में किया कि यदि उसकी मृत्यु हो जाती तो वह हत्या के दोषी होते?
2. क्या आरोपीगण के द्वारा उपरोक्त दिनांक समय स्थान पर अन्य सहआरोपीगण के साथ मिलकर फरियादी रिन्कू की हत्या करने का सामान्य आशय निर्मित किया और उसके अग्रसरण में कार्य करते हुए अग्नेयशस्त्र से इस आशय या यह जानते हुए

तथा ऐसी परिस्थितियों में फायर किया कि यदि उसकी मृत्यु हो जाती तो आप हत्या के दोषी होते?

3. क्या आरोपीगण के द्वारा फरियादी रिन्कू को इस दौरान चोट पहुँचाकर उपहति कारित की?
4. क्या सहआरोपी सोनू राणा के द्वारा उपरोक्त दिनांक समय स्थान पर अपने आधिपत्य में एक 315 बोर का दोशी कट्टा व जिंदा राउण्ड अवैध रूप से बिना किसी अनुज्ञप्ति के रखा?

—: सकारण निष्कर्ष:—

बिन्दु क्रमांक 1 लगायत 3:—

07. अभियोजन साक्षी डॉ० अवतारसिंह अ०सा० 9 जिनके द्वारा कि दिनांक 11.06.2015 को आकस्मिक चिकित्सा विभाग जे.ए.एच. ग्वालियर में पदस्थ दौरान थाना मालनपुर के आरक्षक गंभीरसिंह नम्बर 678 द्वारा आहत रिन्कू जाटव को लाए जाने पर उसका मेडीकल परीक्षण किया था जिसे निम्न चोटें परीक्षण के दौरान पाई गई— (i) दाहिनी जाँघ के सामने भाग में घुटने की सामने की हड्डी की सामने की हड्डी 7 से.मी. एक अनियमित घाँव जिसका निचला भाग अर्धचन्द्राकार होकर उसके दोनों किनारों में 03 से.मी. की चौड़ाई लिए हुए थी, घाँव के ऊपरी भाग में चमड़ी लगभग 03 से.मी. तक कुचली एवं फटी होकर खुली हुई थी जो कि हड्डी के टूटे हुए भाग के ऊपर निकलने की बजह से मांसपेशी को कुचलकर एवं खून रहने के कारण थी। आहत को दाहिने घुटने एवं दाहिने जाँघ के एक्सरे की सलाह दी थी। अभिमत:— साक्षी के द्वारा अपने अभिमत में बताया है कि आत को आई हुई उपरोक्त चोट फायर आर्म्स के द्वारा पहुँचाई जाना प्रतीत होती थी जो कि 6 घण्टे के अंदर की थी। चोट की प्रकृति जानने हेतु आहत को एक्सरे की सलाह दी गई थी। आहत को ट्रामा सेन्टर जे.ए.एच. ग्वालियर में भर्ती कर इलाज दिया गया था। उनके द्वारा तैयार मेडीकल रिपोर्ट प्र.पी. 14 है जिसके ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं।

08. इस प्रकार चिकित्सक डॉ० अवतार सिंह अ०सा० 09 के कथन से स्पष्ट है कि घटना के पश्चात् आहत रिन्कू के शरीर पर घुटने में आग्नेयशस्त्र की उपरोक्त बतायी गयी चोट मौजूद थी जो कि, उसकी चमड़ी कालापन लिये हुये थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी के द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि आहत को उक्त चोट फायर आर्म्स से ही आ सकती है। अब यह विचारणीय हो जाता है कि क्या अभियोजन इस तथ्य को प्रमाणित करा पाया है कि

क्या आरोपीगण या किसी आरोपी के द्वारा आहत रिंकू को जान से मारने की नियत से उस पर गोली चलायी गयी जिससे कि उसे उक्त उपहति कारित हुयी ?

09. घटना के फरियादी/आहत रिंकू अ0सा0 1 के द्वारा आरोपिया पिंगी की पहचान की गई है, शेष आरोपीगण की पहचान न्यायालय में उसके द्वारा नहीं की जा सकी है। साक्षी के द्वारा यह बताया गया है कि दिनांक 11.06.2015 को एक-डेढ बजे की बात है वह सूर्या कम्पनी मालनपुर में काम की खोज के लिए जा रहा था। वह हनुमान चौराहा से फैक्ट्री की तरफ जो पुलिया है उसके थोडा आगे पहुँचा था तो दो लोग मोटरसाइकिल से आए और उन्होंने उसे पकड लिया और कट्टा अडाकर बोले कि तुम्हारे पास क्या क्या है, उसने कहा कि उसके पास कुछ नहीं है तो वह लोक उसे फैक्ट्री के अंदर बंद कमरे में ले गए और वहाँ उसे दाँए घुटने में गोली मारी, उसके बाद वह गिर पडा और वह लोग मोबाइल लेकर भाग गए। वह घिसटकर बाहर आया, लेकिन बाहर कोई नहीं दिखाई दिया। फिर एक आदमी आया उसने पुलिस को सूचना दी और पुलिस उसे ले गई थी। उसने पुलिस को रिपोर्ट लिखाई थी। देहातीनालसी रिपोर्ट प्र.पी. 1 है जिस पर ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने घटनास्थल का नक्शामौका प्र.पी. 2 बनाया था। शिनाख्ती के संबंध में पूछे जाने पर शिनाख्ती पंचनामा प्र.पी. 3 के ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है, किन्तु उसके द्वारा कोई शिनाख्ती किए जाने से साफतौर से इन्कार किया है।

10. उक्त साक्षी को अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, इस दौरान साक्षी के द्वारा उसके पुलिस को दिए गए धारा 161 दं.प्र.सं. के कथन जिसमें कि आरोपीगण के अपराध में संलिप्तता के संबंध में आया है। ऐसा कथन प्र.पी. 1 व प्र. पी. 4 में लिखाने से इन्कार किया है। साक्षी से आरोपीगण की पहचान की कार्यवाही करने और उसके द्वारा आरोपी राज को पहचान लेने से इन्कार किया है। प्रतिपरीक्षण में फरियादी के द्वारा बताया गया है कि मालनपुर सूर्या फैक्ट्री वह अकेला ही पैदल जा रहा था, उसके साथ कोई नहीं था। हाजिर अदालत आरोपीगण में से किसी ने उसके साथ कोई घटना कारित किये जाने से साक्षी साफतौर से इन्कार किया है।

11. अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत अन्य साक्षी पिटू शर्मा अ0सा0 3 जो कि आरोपिया पिंगी को फरियादी रिंकू के साथ घटना के पूर्व जाते हुए देखना और उसके पश्चात् घटना के संबंध में जानकारी होने के संबंध में साक्षी है। उक्त साक्षिया के द्वारा भी आरोपिया पिंगी को फरियादी रिंकू के साथ जाते हुए देखने या अन्य किसी बिन्दु पर अभियोजन प्रकरण का कोई

समर्थन नहीं किया है। उक्त साक्षी को भी अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है।

12. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत अन्य साक्षीगण श्रीपत अ0सा0 2 के द्वारा यह बताया गया है कि गांव में उसे सूचना मिली थी कि उसके लडके रिकू को गोली लगी है और उक्त सूचना मिलने पर वह अपने लडके अवधेश के साथ जे.ए.एच. हॉस्पिटल ग्वालियर पहुँच गया था, वहाँ उसके लडके रिकू ने बताया था कि उसे किसी ने कट्टा मार दिया है। इस संबंध में अभियोजन साक्षी अवधेश अ0सा0 4 के द्वारा भी उक्त साक्षी के समान कथन करते हुए यह बताया है कि जब वह जे.ए.एच. हॉस्पिटल पहुँचा तो रिकू बेहोश था और होश में आने पर उसने बताया था कि 2 बदमाश मोटरसाइकिल से आए थे और उन्होंने उसके घुटने पर गोली मार दी थी। उक्त दोनों साक्षीगण को भी अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। अभियोजन साक्षी किरन शर्मा अ0सा0 5 के द्वारा भी केवल यह बताया गया है कि उसे पता चला था कि रिकू को किसी ने गोली मार दी है। उक्त साक्षी को भी अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। इस दौरान साक्षिया इस बात से इन्कार की है कि उसे बाद में पता चला था कि रिकू को गोली उसकी चाची पिकी ने मरवाई थी। इस प्रकार उक्त अभियोजन साक्षियों के कथन के आधार पर भी आरोपीगण या किसी आरोपी के घटना में सामिल होने या उनके द्वारा घटना कारित किये जाने के संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।

13. अभियोजन के द्वारा अपने तर्क में यह व्यक्त किया गया है कि यद्यपि घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोपीगण राज बढई एवं सोनूसिंह उर्फ बिक्रमसिंह के नाम का उल्लेख नहीं आया है, क्योंकि उस समय तक फरियादी उन्हें पहचानता नहीं था। उक्त आरोपीगण की शिनाख्ती की कार्यवाही कराई गई है, जिसमें कि उनकी पहचान फरियादी/आहत के द्वारा की गई है। इसके अतिरिक्त घटनास्थल से हुई जप्ती की कार्यवाही तथा घटना के पश्चात् आरोपी सोनूसिंह से की गई जप्ती की कार्यवाही तथा चिकित्सीय साक्ष्य के आधार पर भी अभियोजन प्रकरण की सम्पुष्टि होती है कि आरोपीगण के द्वारा रिकू की हत्या का प्रयत्न किया गया।

14. उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। सर्वप्रथम फरियादी/आहत रिकू के द्वारा आरोपीगण सोनू व राज की शिनाख्ती का जहाँ तक प्रश्न है, इस बिन्दु पर अभियोजन के द्वारा आर.आर.रावत तत्कालीन कार्यपालिक मजिस्ट्रेट एवं नायब तहसीलदार गोहद वृत्त एण्डोरी का परीक्षण कराया गया है, जिन्होंने कि अपने साक्ष्य कथन में दिनांक 15.07.2015 को आरोपीगण सोनू और राज की पहचान की कार्यवाही करवाई जाना जिसमें कि फरियादी रिकू ने आरोपी

सोनू उर्फ बिक्रमसिंह तथा राज बढई की पहचान की गई है थी जो कि आरोपी राज के संबंध में शिनाख्ती पंचनामा प्र.पी. 3 तथा आरोपी सोनू के संबंध में शिनाख्ती पंचनामा प्र.पी. 16 तैयार करना एवं उन पर ए से ए भागों पर अपने हस्ताक्षर होना अभिकथित किया है। उक्त शिनाख्ती की कार्यवाही का जहाँतक प्रश्न है, यद्यपि शिनाख्ती पंचनामा प्र.पी. 3 और प्र.पी. 16 में फरियादी रिकू के द्वारा आरोपीगण की शिनाख्ती करने का तथ्य आया है, किन्तु इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि फरियादी रिकू के द्वारा कहीं भी आरोपी सोनू एवं राज की न्यायालय में कोई पहचान नहीं की गई है। उसके द्वारा इस बात से भी इन्कार किया गया है कि उसने आरोपी सोनू और राजबढई की कोई शिनाख्ती जेल में की थी। ऐसी दशा में जबकि फरियादी के द्वारा आरोपीगण सोनू, राज बढई की कोई पहचान न्यायालय में नहीं की गई है, मात्र शिनाख्ती की कार्यवाही में कथित पहचान के आधार पर उक्त आरोपीगण के ही अपराध में संलग्न होने अथवा उनके द्वारा ही घटना कारित किए जाने के संबंध में अभियोजन प्रकरण की प्रमाणिकता नहीं मानी जा सकती है।

15. जहाँ तक आहत रिकू के घुटने से निकाले गए बुलेट का प्रश्न है, इस संबंध में राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्र.सी. 1 में कथित रूप से आरोपी सोनू से जप्त 315 बोर के कट्टे से फायर होकर उक्त उपहति कारित होने के संबंध में भी कोई निश्चित अभिमत नहीं आया है। ऐसी दशा में मात्र आहत रिकू के घुटने में गोली की चोट होने और उस चोट से प्राप्त बुलेट की जत्ती के आधार पर भी आरोपीगण या किसी आरोपी के अपराध में संलग्न होने के संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। इस संबंध में चिकित्सीय अभिमत के आधार पर जो कि चिकित्सक के द्वारा आहत के घुटने में गन शॉट इंजुरी की चोट पाई गई है, मात्र उक्त चोट पाई जाने के आधार पर आरोपीगण के विरुद्ध अपराध की प्रमाणिकता के संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है।

16. यह भी उल्लेखनीय है कि आरोपिया पिकी के घटनास्थल पर मौजूद होने अथवा उसके द्वारा अन्य सहआरोपीगण के साथ सामान्य आशय का गठन कर उसके अग्रसरण में कोई कार्य करने के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं है। इस परिप्रेक्ष्य में आरोपिया पिकी के घटना में संलग्न होने के संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है।

बिन्दु क्रमांक 4-

17. अभियोजन के द्वारा यह भी बताया गया है कि आरोपी सोनू अपने आधिपत्य अवैध रूप से एक 315 बोर का कट्टा एवं एक जिंदा कारतूस 8 एम.एम. का रखा हुआ पाया

गया था जो कि उसके पास उक्त अग्नेयशस्त्र रखने हेतु कोई लाइसेंस नहीं था। इस संबंध में जप्तकर्ता अधिकारी शिवसिंह यादव अ0सा0 12 के द्वारा दिनांक 17.06.2015 को आरोपी सोनू राणा को उनके द्वारा गुप्ता कॉलोनी थरेंट में गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी. 10 बनाया था। आरोपी सोनू से पूछताछ की गई थी तो उसने पूछताछ करने पर घटना में प्रयुक्त कट्टा एवं 315 बोर की एक जिंदा कारतूस अपने घर से निकालकर पेश किया था कारतूस की पेंदी पर 8 एम.एम.के.एफ लिखा था जो जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी. 12 बनाया था जिस पर उनके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी दिनांक 17.06.2015 को थाना मालनपुर से विवेचना के लिए कितने बजे रवाना हुआ था उसे याद न होना बताया है। आरोपी सोनू राणा से उसके घर पर मिलना बताया है। साक्षी के द्वारा यह भी बताया है कि जब आरोपी की गिरफ्तारी की थी तब गांव के और आसपास के लोग नहीं आए थे, वह पुलिस को देखकर भाग गए थे। आरोपी के साथ कमरे के अंदर जाना वह बताया है, किन्तु कमरा किस नाप का था या वह किस प्रकार का कमरा था इस बारे वह न बता सकना अभिकथित किया है और उनके साथ कुछ स्टाप के लोग भी कमरे के अंदर जाना अभिकथित किया है। कमरे में प्रवेश करने के पहले अपनी तलाशी देना बताया है, किन्तु इस संबंध में कोई भी तलाशी पंचनामा आदि प्रकरण में संलग्न नहीं है। कट्टा व राउण्ड के अलावा एक मोटरसाइकिल की जप्ती भी उसी जप्ती पत्रक के अनुसार करना उनके द्वारा बताया जा रहा है।

18. उपरोक्त जप्ती कीकार्यवाही के संबंध में अभियोजन के द्वारा पेश अन्य अभियोजन साक्षी भीमसेन मीना अ0सा0 6 एवं नरेन्द्र भार्गव अ0सा0 8 जो कि थाना मालनपुर में आरक्षक के पद पर पदस्थ थे के द्वारा भी आरोपी सोनू के पेश करने पर एक 315 बोर का कट्टा और एक जिंदा राउण्ड व मोटरसाइकिल की जप्ती किया जाना तथा मेमोरेण्डम प्र.पी.11 तथा जप्ती पत्रक प्र.पी. 12 पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है।

19. सर्वप्रथम यह उल्लेखनीय है कि उक्त दोनों ही साक्षीगण थाना मालनपुर के आरक्षक हैं जो कि थाना प्रभारी के अधीनस्थ कर्मचारी हैं। साक्षी भीमसेन मीना अ0सा0 6 इस बात को स्वीकार किया है कि जब कार्यवाही की जा रही थी और आरोपी को गिरफ्तार किया था उस समय वहाँ कुछ इकट्ठे थे, किन्तु उसे यह पता नहीं है कि उन्हें गवाह बनाया गया था या नहीं। जब आरोपी सोनू को गिरफ्तार किया गया था तब वह और मंगल थे, किन्तु मंगल को कहीं भी साक्षी के रूप में नहीं है। इस संबंध में अन्य साक्षी नरेन्द्र भार्गव अ0सा0 8 के द्वारा भी प्रतिपरीक्षण में इस बात को स्वीकार किया गया है कि जब आरोपी से पूछताछ की जा रही थी उस समय गांव के लोग भी आ गये थे, किन्तु गांव वालों ने गवाही देने से मना

कर दिया था। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि अनुसंधान एवं जप्तीकर्ता अधिकारी के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में यह बताया गया है कि जब आरोपी सोनू से पूछताछ की जा रही थी उस समय गांव के अन्य कोई लोग नहीं आए थे वह पुलिस को देखकर भाग गए थे, जबकि उक्त कार्यवाही से अन्य साक्षीगण भीमसेन मीना और नरेन्द्र भार्गव के द्वारा स्पष्ट रूप से अपने साक्ष्य कथन में यह बताया जा रहा है कि उस समय वहाँ पर गांव के लोग आ गए थे और उस स्थान पर मौजूद थे। ऐसी दशा में जबकि कार्यवाही दगांव में हो रही थी और सुबह के समय उक्त कार्यवाही की गई है, जब वहाँ पर गांव के लोग मौजूद थे तो उनमें से किसी व्यक्ति को भी साक्षी के रूप में क्यों बनाया गया यह भी विचारणीय है।

20. यह भी उल्लेखनीय है कि जप्तीकर्ता अधिकारी के द्वारा यह बताया गया है कि आरोपी सोनू के घर के अंदर वह और उनके साथ गए पुलिस कर्मचारी गए थे, किन्तु इस संबंध में साक्षी नरेन्द्र भार्गव अ0सा0 8 के द्वारा कंडिका 2 बताया गया है कि वह टी.आई के साथ कमरे में नहीं गया था बाहर ही खड़ा था। यह भी उल्लेखनीय है कि मकान के अंदर कथित रूप से प्रवेश करने से पहले जप्तीकर्ता अधिकारी के द्वारा अपनी स्वयं की कोई तलाशी दी गई हो और इससंबंध में कोई पंचनामा बनाया गया हो ऐसा कहीं भी दर्शित नहीं होता है। कोई पुलिस अधिकारी या सिपाही घर के अंदर बिना किसी अधिकार के वैधानिक प्रक्रिया अपनाए बिना घर के अंदर प्रवेश किया यह विचारणीय है।

21. साक्षीगण जो कि जप्तीकर्ता अधिकारी के साथ ही मौजूद थे वह पुलिस वल के सिपाही है उन्हें भी कमरे के अंदर साथ में जाना जप्तीकर्ता अधिकारी के द्वारा बताया जा रहा है। जबकि जप्ती के दोनों साक्षियों में से कोई भी घर के अंदर उनके जाने के संबंध में तथ्य नहीं बताया है। ऐसी दशा में जप्तीकर्ता के द्वारा की गई जप्ती की कार्यवाही के संबंध में प्रश्नचिन्ह उठता है और उनके कथन मात्र के आधार पर जो कि किसी भी स्वतंत्र साक्षी के द्वारा जप्ती की कार्यवाही सम्पुष्ट नहीं है, मात्र उनके अधनीस्थ कर्मचारियों के हस्ताक्षर उस पर है जबकि पूछताछ एवं जप्ती के समय जो कि दिन के समय की कार्यवाही है एवं वहाँ पर पब्लिक के व्यक्तियों के मौजूद होना बताया गया है जिन्हें बुलाया जाना संभव था और उनके समक्ष उक्त कार्यवाही की जा सकती थी। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा **सन्सपालसिंह वि0 स्टेट ऑफ दिल्ली 1999 सी.आर.एल.जे. 19 एवं दौलतराम वि0 स्टेट ऑफ हरियाणा 1995 सी.आर.एल.जे.** उल्लेखनीय है जिसमें कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह अवधारित किया गया है कि मात्र जप्तीकर्ता अधिकारी के कथन के आधार पर जबकि स्वतंत्र साक्षी मौजूद थे और उनके कथन नहीं कराए गए हैं,

मात्र इस आधार पर जप्ती का तथ्य प्रमाणित नहीं माना जा सकता है।

22. इस प्रकार आरोपी सोनू राणा के आधिपत्य से अग्नेयशस्त्र की जप्ती का तथ्य अभियोजन साक्ष्य के आधार पर युक्तियुक्त रूप से प्रमाणित होना नहीं पाया जाता है। ऐसी दशा में जबकि आरोपी से जप्ती का तथ्य युक्तियुक्त रूप से प्रमाणित होना नहीं पाया गया है, मात्र जप्तशुदा अग्नेयशस्त्र के चालू हालत में पाये जाने और कारतूस के जिंदा अवस्था में पाए जाने के आधार पर जो कि राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्र.सी. 1 में आया है तथा इस संबंध में आरोपी सोनू के विरुद्ध आयुध अधिनियम के अंतर्गत अभियोजन चलाए जाने की स्वीकृति जो कि तत्कालीन प्रभारी जिला दण्डाधिकारी आर.पी.भारती के द्वारा अभियोजन चलाए जाने की स्वीकृति का तथ्य के संबंध में आर्म्स क्लर्क महेन्द्रसिंह अ0सा0 10 के रूप में परीक्षित कराया गया है, उनके द्वारा अभियोजन स्वीकृति रिपोर्ट प्र.पी. 15 पर तत्कालीन जिला दण्डाधिकारी के हस्ताक्षर होने मात्र के आधार पर आरोपीगण के विरुद्ध इस संबंध में अपराध की प्रमाणिकता सिद्ध होनी नहीं मानी जा सकती है।

23. उपरोक्त विवेचना एवं विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में आई हुई समग्र अभियोजन साक्ष्य के आधार पर आरोपीगण या किसी आरोपी के द्वारा फरियादी/आहत रिकू की हत्या करने के प्रयत्न करने और इस दौरान आहत को गोली लगकर गंभीर उपहति कारित होने के संबंध में अथवा आरोपीगण के द्वारा फरियादी रिकू को जान से मारने का सामान्य आशय निर्मित करना एवं उसके अग्रसरण में कार्य करते हुए उसे अग्नेयशस्त्र से गोली मारकर उपहति कारित करने के संबंध में अभियोजन प्रकरण की प्रमाणिकता आरोपीगण या किसी आरोपी के विरुद्ध सिद्ध होनी नहीं पाई जाती है। आरोपी सोनू राणा से अवैध रूप से रखे हुए किसी अग्नेयशस्त्र की जप्ती होना अथवा उसके द्वारा अग्नेयशस्त्र को घटना में प्रयुक्त किये जाने का तथ्य भी अभियोजन साक्ष्य के आधार पर प्रमाणित नहीं होता है।

24. अतः अभियोजन प्रकरण को आरोपीगण के विरुद्ध प्रमाणित होना न पाते हुए आरोपीगण राज बढई एवं श्रीमती पिकी को धारा 307 विकल्प में धारा 307/34 भा0द0सं0 के आरोप से तथा आरोपी सोनू राणा को धारा 307 विकल्प में धारा 307/34 भा0द0सं0 एवं धारा 25(1-बी)ए आयुध अधिनियम के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। आरोपीगण के जमानत मुचलके उन्मोचित किये जाते हैं।

25. प्रकरण में जप्तशुदा 315 बोर का कट्टा व एक जिंदा कारतूस उचित निराकरण हेतु अपील अवधि पश्चात् जिला दण्डाधिकारी भिण्ड को भेजे जावे। प्रकरण में जप्तशुदा

मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी. 32 एम.सी. 1604 उसके स्वामी प्यारेलाल पुत्र बाबूलाल की सुपुर्दगी पर है। उक्त सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात् निरस्त समझा जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
हस्ताक्षरित एवं घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

(डी०सी०थपलियाल)
अपर सत्र न्यायाधीश
गोहद, जिला भिण्ड

(डी०सी०थपलियाल)
अपर सत्र न्यायाधीश
गोहद, जिला भिण्ड

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)